सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशा.), बीकानेर
पीठासीन अधिकारीः— श्री यशवन्त भाकर, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर एफएसएस एक्ट प्रा.पत्र 30/2017
अनवान :—

महमूद अली, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें बीकानेर, जोन बीकानेर

प्रार्थी

—: बनाम :— 2017/00205

श्री अमरचन्द पुत्र श्री बद्रीराम जाति जाट (विक्रेता मालिक) मैसर्स अमर दूध भण्डार, रानीबाजार गुरूद्वारा के पास, बीकानेर राजस्थान

अप्रार्थी

::प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 26 उपधारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011::

उपस्थिति :—

1. प्रार्थी पक्ष — श्री महमूद अली, खा.सु.अधिकारी
2. अप्रार्थी पक्ष की ओर से — अप्रार्थी स्वयं

—: निर्णय :— दिनांक : 27.03.2018

इस मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी श्री महमूद अली खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि श्री गोपालकृष्ण शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (सेवानिवृत) ने दिनांक 18.05.2015 को अप्रार्थीपक्ष श्री अमरचन्द पुत्र श्री बद्रीराम जाति जाट (विक्रेता मालिक) मैसर्स अमर दूध भण्डार, रानीबाजार गुरूद्वारा के पास, बीकानेर के यहां दुकान पर निरीक्षण दौरान एक स्टील की टंकी में करीब 25 लीटर गाय का दूध आम जनता की बिक्री हेतु रखा हुआ था। तदन्तर मिलावट का शक होने पर उक्त दूध में से 2 लीटर दूध पेलेन्जर से हिलाहिला कर जांच हेतु 52 रूपये में खरीद कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर है। तदन्तर उक्त दूध को चार बराबर भागों में बांटकर कांच की सूखी शीशीओं में भरकर 40—40 फार्मेलिन की बूंदे डालकर अच्छी तरह हिलाकर विहित प्रकियानुसार शीशीओं को सीलबन्द पैक करके एक सीलबन्द शीशी मुख्य जन विश्लेषक एवं खाद्य विश्लेषक, राज. जयपुर को जांच हेतु भेजी गई। जिनके यहां से दिनांक 28.07.2015 को जांच रिर्पोट प्राप्त हुई जिसमें गाय का दूध सबस्टेण्डर्ड का पाया गया। प्रार्थनापत्र के अनुसार प्रार्थी का निवेदन है कि अप्रार्थी द्वारा सबस्टेण्डर्ड गाय के दूध का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है इसलिये धारा 51 के अनुसार खाद्य पदार्थ की क्वालिटी क्रेता की मांग के अनुसार नहीं होने के कारण निर्धारित शास्ति से दण्डित किया जावे ।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

उक्ताशय का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीपक्ष को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित आकर जवाब पेश किया। तदन्तर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि इस मामले में तत्कालिन खाद्य निरीक्षक द्वारा अप्रार्थीपक्ष के यहां नियमानुसार तरीके से गाय के दूध का सैम्पल लिया जाकर प्रयोगशाला जयपुर में जांच करवाई गई। मुख्य जन विश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिर्पोट के अनुसार इस मामले में Milk solids not fat % Min.=8.5 की तुलना में 7.43 प्रतिशत का पाया गया है जो निर्धारित मानक से कम है। इस प्रकार अप्रार्थी के यहां गाय का दूध सबस्टेण्डर्ड का पाया गया है जो धारा 26 उपधारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 का उल्लंघन है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह भी निवेदन किया है कि इस मामले में अप्रार्थी को धारा 51 के तहत अधिक से अधिक जुर्माने से आरोपित किया जावे।

अप्रार्थी ने अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुवे कथन किया कि अप्रार्थी की दूध की एक छोटी सी दुकान है। अप्रार्थी गांवों से दूध खरीदकर बेचता तथा इसी से परिवार का पालन पोषण करता है। अप्रार्थी अपनी तरफ से कोई मिलावट नहीं करता है। अप्रार्थी ने यह भी कथन किया है कि उक्त दूध का नमूना गर्मियों के मौसम में लिया गया। गर्मियों के मौसम में गायों के खानपान एवं वहां की जलवायु एवं टंकी साफ पानी से धोने से दूध में भिन्नता होने से मानक स्टेण्डर्ड में कमी आयी है। अप्रार्थी द्वारा भविष्य इस प्रकार की कमी नहीं रखी जायेगी। इसलिए अप्रार्थी के प्रति नरमी का रूख अपनाते हुवे परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। इसके विपरीत खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बहस का खण्डन करते हुवे बताया कि अप्रार्थी के यहां नियमानुसार कार्यवाही की जाकर दूध का सैम्पल लिया गया जो सबस्टेण्डर्ड का पाया गया है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) बीकानेर

हमने उभयपक्ष के कथन पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया । प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का अप्रार्थी द्वारा साक्ष्य आधारित खण्डन नहीं किया है । पत्रावली में Food Analyst, State Central Public Health Laboratory, Jaipur की रिर्पोट क्रमांक एलएस/1131/एक्ट/2015/602 दिनांक 28.07.2015 संलग्न है। इस रिर्पोट में अप्रार्थी के यहां पाया गया दूध Milk Solids not fat percentage Min.=8.5 की तुलना में 7.43 प्रतिशत का पाया गया है, जो निर्धारित मानक से कम होने के कारण सबस्टेण्डर्ड का होना साबित होता है। लिहाजा

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अप्रार्थीगण द्वारा सबस्टेण्डर्ड का दूध विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2)(ii) का उल्लंघन किया है। अतः अप्रार्थी द्वारा अधिनियम के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुवे हम अप्रार्थी के इस कृत्य के लिये उन पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत 25,000/– (अखरे रूपये पचीस हजार मात्र) की शास्ति आरोपित करते है एवं अप्रार्थी को यह हिदायत भी देते है कि भविष्य में वह इस प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करे और यह आदेश देते है कि आरोपित शास्ति राशि एक माह के भीतर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर के कार्यालय के माध्यम से राज्य के आय मद 0210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य में जरिये चालान जमा करावें। निर्धारित अवधि में राशि जमा न होने की अवस्था में प्रार्थीपक्ष पीडीआर एक्ट/एलआरएक्ट के तहत वसूली हेतु कानूनी कार्यवाही करें।

यह निर्णय आज दिनांक 27.03.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(यशवन्त भाकर)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशा.), बीकानेर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner